02/02/2021

ललिता चौधरी

पहचान करती

पत्रावली दिनांक 1 वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी / प्रार्थिया स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी ने वाद विद्या प्रार्थनापत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया / वाद विद्या प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से प्रार्थना पत्र को पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रहा। वाद विद्या प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से प्रार्थिया को पत्र पत्र वापिस किया जाता है। प्रार्थिया की पहचान उनके उपस्थित होने की। पत्रावली अभिलेख से सम्बन्धित विलम्ब शुल्क दिया जाकर निस्तारित करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:19:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner